Australian Government
Department of Home Affairs

**सरकार महामारी की अवधि में वीज़ा व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा कर रही है। जैसे-जैसे समायोजन किए जाएँगे, इस पृष्ठ को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।**

वीज़ा रियायतें
परिवार (Family) वीजा आवेदकों के लिए रियायतें
माता-पिता (Parent) वीज़ा
प्रायोजित माता-पिता (अस्थायी) [Sponsored Parent (Temporary)] (उपवर्ग 870) वीज़ा

---

# वीज़ा रियायतें

यदि आप COVID-19 महामारी यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं तो आप रियायत के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

COVID-19 रियायत अवधि इनके लिए 1 फरवरी 2020 को आरंभ हुई थी:

- कुशलता-प्राप्त क्षेत्रीय (उपवर्ग 887) [Skilled Regional (Subclass 887)] वीज़ा
- व्यावसायिक नवाचार और निवेश (स्थायी)(उपवर्ग 888) [Business Innovation and Investment (Permanent)(Subclass 888)] वीज़ा
- व्यावसायिक नवाचार और निवेश (अनंतिम)(उपवर्ग 188) [Business Innovation and Investment (Provisional)(Subclass 188] वीज़ा
- सुरक्षित आश्रय उद्यम (उपवर्ग 790) [Safe Haven Enterprise (Subclass 790)] वीज़ा
- अस्थायी स्नातक (उपवर्ग 485) [Temporary Graduate (Subclass 485)] वीज़ा।

# परिवार वीजा आवेदकों के लिए रियायतें

## जीवनसाथी (Partner) और बाल (Child) वीज़ा

यदि आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर निम्नलिखित के लिए आवेदन किया है:

- बाल (Child) (उपवर्ग 101) वीज़ा
- दत्तक ग्रहण (Adoption) (उपवर्ग 102) वीज़ा
- भावी विवाह (Prospective Marriage) (उपवर्ग 300) वीज़ा
- जीवनसाथी (Partner) (उपवर्ग 309) वीज़ा

और

- आप COVID-19 रियायत अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हैं

यदि आप अन्य सभी वीज़ा मानदंडों को पूर्ण करते/करती हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा दिया जा सकता है।

COVID-19 अपवाद अवधि 1 फरवरी 2020 को आरंभ हुई थी और यह एक अंतरिम व्यवस्था है। अपवाद अवधि कब समाप्त होगी, इसके बारे में अपडेटों के लिए यहाँ देखें।

5 मार्च 2022 से, आश्रित संतान (उपवर्ग 445) [Dependent Child (subclass 445)] वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में या उसके बाहर आवेदकों को दिया जा सकता है, भले ही वीज़ा का आवेदन कहीं से भी दर्ज किया गया हो। परिणामस्वरूप, यह वीज़ा उपवर्ग अब COVID-19 रियायत व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। और अधिक जानकारी के लिए आश्रित संतान (उपवर्ग 445) [Dependent Child (subclass 445)] देखें।

## माता-पिता (Parent) वीज़ा

### ऑस्ट्रेलिया के बाहर जमा किए गए माता-पिता (Parent) वीज़ा आवेदन

यदि आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर निम्नलिखित के लिए आवेदन किया है

- माता-पिता (Parent) (उपवर्ग 103) वीज़ा
- अंशदायी माता-पिता (Contributory Parent) (उपवर्ग 173) वीज़ा
- अंशदायी माता-पिता (Contributory Parent) (उपवर्ग 143) वीज़ा

और

- आपने 24 मार्च 2021 से पहले वीजा के लिए आवेदन किया था और
- आप 24 मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया में थे

यदि आप COVID-19 रियायत अवधि के दौरान अन्य सभी वीज़ा मानदंडों को पूर्ण करते/करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान आपका वीज़ा दिया जा सकता है।
यदि आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर इस वीज़ा के लिए आवेदन किया है और आप सामान्य वीज़ा अनुदान आवश्यकताओं को पूर्ण करते/करती है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर वीज़ा (वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार) प्रदान किया जा सकेगा।

## ऑस्ट्रेलिया में जमा किए गए माता-पिता (Parent) वीज़ा आवेदन

यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित के लिए आवेदन किया है

- वयोवृद्ध माता-पिता (उपवर्ग 804) वीज़ा
- अंशदायी माता-पिता (Contributory Parent) (उपवर्ग 864) वीज़ा

और

- आपने 24 मार्च 2021 से पहले वीजा के लिए आवेदन किया था और
- आप 24 मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया के बाहर थे

यदि आप COVID-19 रियायत अवधि के दौरान अन्य सभी वीज़ा मानदंडों को पूर्ण करते/करती हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने पर वीज़ा दिया जा सकता है।

यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में इस वीज़ा के लिए आवेदन किया है और आप सामान्य वीज़ा अनुदान आवश्यकताओं को पूर्ण करते/करती है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा (वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार) प्रदान किया जा सकेगा।

माता-पिता (Parent) वीज़ा आवेदकों के लिए COVID-19 रियायत अवधि के दौरान अस्थायी रियायतें लागू होंगी। COVID-19 अपवाद अवधि 1 फरवरी 2020 को आरंभ हुई थी। यह एक अस्थायी व्यवस्था है। अपवाद अवधि कब समाप्त होगी, इसके बारे में अपडेटों के लिए यहाँ देखें।

ये संशोधन वर्तमान में संसाधित किए जा रहे माता-पिता (Parent) वीज़ा आवेदनों की समय-सीमाओं को प्रभावित नहीं करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए यह वेबपेज देखें: माता-पिता (Parent) वीज़ा पंक्ति निर्गति (रिलीज़) तिथियाँ और प्रसंस्करण अवधियाँ।

## माता-पिता और अंशदायी माता-पिता वीजा आवेदकों के लिए ब्रिजिंग वीजा

यदि इन सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो उस अवधि के दौरान वीज़ा आवेदन जिसमें COVID-19 रियायतें चालू हैं, आप अपने माता-पिता (उपवर्ग 103), अंशदायी माता-पिता (उपवर्ग 143) या अंशदायी माता-पिता (अस्थायी) (उपवर्ग 173) के साथ ब्रिजिंग वीजा के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं:

- आपने 24 मार्च 2021 से पहले अपना माता-पिता या अंशदायी मातापिता वीज़ा का आवेदन दर्ज किया है
- वीज़ा आवेदन ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किया गया था
- आप 24 मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया में थे

- वीजा आवेदन के लिए अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जिस ब्रिजिंग वीज़ा उपवर्ग के लिए आप पात्र हो सकते/सकती हैं, वह जब आपका माता-पिता या अंशदायी मातापिता वीज़ा का आवेदन किया गया था उस समय की आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

यदि अपना वीज़ा आवेदन करते समय आपके पास वास्तविक वीज़ा था तो आप ब्रिजिंग वीज़ा A - BVA - (उपवर्ग 010) का आवेदन करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं और इसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यदि अपना वीज़ा आवेदन करते समय आपके पास वास्तविक वीज़ा नहीं था, तो आप BVA के लिए पात्र नहीं होंगे/होंगी। आप ब्रिजिंग वीज़ा E - BVE - (उपवर्ग 050) के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं।

यदि आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी कार्यालय में माता-पिता या अंशदायी माता-पिता वीज़ा के लिए कागजी आवेदन दर्ज किया है, तो आप अपने वीज़ा आवेदन के साथ ब्रिजिंग वीज़ा प्रदान करने के मानदंडों को पूर्ण नहीं करेंगे/करेंगी गी।

यदि आप ब्रिजिंग वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते/चाहती हैं, तो WA अभिभावक वीज़ा केंद्र (Parent Visa Centre) में पूर्ण फॉर्म 1005 पोस्ट करें। पूर्ण किए हुए फॉर्म को ईमेल न करें। ईमेल द्वारा प्राप्त कोई भी फॉर्म 1005 अमान्य आवेदन माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

## प्रायोजित माता-पिता (अस्थायी) [Sponsored Parent (Temporary)] (उपवर्ग 870) वीज़ा

यदि आप प्रायोजित माता-पिता (अस्थायी) [Sponsored Parent (Temporary)] वीज़ा (उपवर्ग 870) [एसपीटीवी (SPTV)] धारक हैं और आप 1 जुलाई 2021 के दिन ऑस्ट्रेलिया से बाहर उपस्थित थे/थीं, तो आपके वीज़ा की अवधि स्वतः 18 महीनों तक बढ़ा दी गई है।

इस रियायत का उद्देश्य ऐसे एसपीटीवी (SPTV) धारकों की सहायता करना है, जो COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में अपने वीज़ा पर संपूर्ण 3 या 5 वर्षों की अवधि नहीं बिता पाए थे।

यदि इस रियायत के अंतर्गत आपके वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी, तो आपकी संचयी 10 वर्षों की अधिकतम प्रवास अवधि में इन अतिरिक्त 18 महीनों की गणना नहीं की जाएगी।

एसपीटीवी (SPTV) प्रायोजकों के लिए प्रायोजन के दायित्वों को भी उसी 18 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
आप VEVO का उपयोग करके अपने वीज़ा विवरण और शर्तों की जांच कर सकते/सकती हैं।